महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 75वीं बैठक

दिनांक

25 जनवरी, 2024

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 75वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	**अध्यक्ष**
2. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	**सदस्य**
3. प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग	**सदस्य**
4. प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	**सदस्य**
5. डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	**सदस्य**
6. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	**सदस्य**
7. प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	**सदस्य**
8. प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	**सदस्य**
9. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	**सदस्य**
10.प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	**सदस्य**
11.प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	**सदस्य**
12.प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	**सदस्य**
13.प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	**सदस्य**
14.कुलसचिव	**सदस्य-सचिव**

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	**सदस्य**
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	**सदस्य**

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कुलसचिव महोदया को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया । कार्यसूची के मद संख्या 06 पर जब चर्चा चल रही थी तब डॉ0 दुष्यन्त त्रिपाठी संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय, बैठक में उपस्थित हुए:-

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 73वीं बैठक दिनांक 04.09.2023 एवं विद्या परिषद् की 74वीं बैठक दिनांक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक-एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को क्रमशः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (73) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2023/ 23798-817 दिनांक 12.09.2023 तथा पत्र क्रमांक एफ. 13 (74) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2023/ 25398-418 दिनांक 23.09.2023 के माध्यम से प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की 73वीं बैठक दिनांक 04.09.2023 एवं विद्या परिषद् की 74वीं बैठक दिनांक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी साथ ही निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद् के सदस्यों को बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने वाले पत्र में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि यदि किसी सदस्य को प्रेषित किये जा रहे कार्यवृत्त के किसी निर्णय पर कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यालय को प्रेषित करावें ।**	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की अनुशंसा पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार नियुक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकायाध्यक्षों का कार्यकाल दिनांक 20.01.2024 को समाप्त हो रहा हैं:- 1. संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय 2. संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन 3. संकायाध्यक्ष, कला संकाय 3. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय 4. संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय 5. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (1) एवं 2 (2) के तहत उपरोक्त संकायाध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक–I**

निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श करने से पूर्व प्रो. रीटा मेहरा के द्वारा कार्यालय को प्रेषित पत्र क्रमांक 174 दिनांक 24.01.2024 से समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया । उक्त पत्र में प्रो. रीटा मेहरा के द्वारा प्रो. अरविन्द पारीक एवं प्रो. सुभाष चन्द्र के विरूद्ध चल रही जांच के कारण उन्हें संकायाध्यक्षों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रत्याशी नहीं बनाये जाने का अनुरोध किया गया। प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त समस्त सदस्यों की राय थी कि दी गई स्थितियों में प्रो. अरविन्द पारीक एवं प्रो. सुभाष चन्द्र को भी रिक्त संकायाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति हेतु रोका नहीं जा सकता । इस निर्णय पर प्रो. रीटा मेहरा ने अपना **Note of dissent** अंकित कराया । माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों से पूछा की संकायाध्यक्ष नियुक्ति हेतु हाथ उठाकर वोटिंग की जाय अथवा लिखित में वोटिंग करवायी जाय, इस पर सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर वोटिंग किये जाने पर सहमति जतायी । इसके उपरान्त उक्त मद पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा विचार-विमर्श के दौरान इस तथ्य पर भी चर्चा हुई की विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार निर्धारित किये हुए कुछ संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति काफी लम्बे समय से नहीं हुई है । अतः उन संकायों के संकायाध्यक्षों के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की जानी चाहिए अथवा किसी अन्य संकायाध्यक्ष को अतिरिक्त प्रभार दिया जाना चाहिए। इस बिन्दु पर चर्चा कर संकायाध्यक्ष-विधि एवं संकायाध्यक्ष-पत्रकारिता एवं जन संचार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अथवा किसी अन्य संकाय के संकायाध्यक्ष को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । शेष संकायाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु उपस्थित सदस्यों की वोटिंग एवं सहमति के आधार पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निम्नानुसार संकायाध्यक्ष नियुक्ति किये जाने की अनुशंसा की गयीः-	

क्र. सं.	संकाय का नाम	संकायाध्यक्ष का नाम	अवधि	प्राप्त मत
1	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागायक्ष-प्राणीशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	दो वर्ष	06
2	संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय	प्रो. मोनिका भटनागर, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	दो वर्ष	07

	3	संकायाध्यक्ष-कला	**प्रो. अनिल दाधिच, अंग्रेजी विभाग, एस.पी.एस.राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**	**08**	
	4	संकायाध्यक्ष-विज्ञान	**प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एवं जियो-इनफोरमेटिक्स तथा पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**	**सर्वसम्मति**	
	5	संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	**प्रो. शिव प्रसाद, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**	**सर्वसम्मति**	
मद सं0 03	कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 27.12.2023 की अनुपालना में दिनांक 06.01.2024 को Live Stock and Dairying पाठ्यक्रम समिति की बैठक आयोजित की गयी । उक्त बैठक के कार्यवृत्त को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2024 के द्वारा उक्त कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में Live Stock and Dairying पाठ्यक्रम समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**					**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर पाठ्यक्रम को सिद्धान्तः स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार स्नातक स्तर के तैयार करवाये गये अन्य विषयो के पाठ्यक्रमों के अनुसार ही उक्त पाठ्यक्रम की स्कीम भी 70:30 के अनुरूप संबंधित विषय की पाठ्यक्रम समिति से अविलम्ब तैयार करवायी जाय । तत्समय की स्कीम समाहित होने के साथ ही इस पाठ्यक्रम को लागू माना जाय ।**					
मद सं0 04	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान रूप से लागू करने के संबंध में श्री सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान का पत्र क्रमांक एफ.1 (A)(12)आरबी/2020 पार्ट-2/5477					**शैक्षणिक-I**

	दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 प्राप्त हुआ है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)** नोड़ल अधिकारी, नई शिक्षा नीति-2020 के द्वारा उक्त पत्र का अवलोकन किया गया तथा उनके द्वारा पत्रावली पर टिप्पणी करके अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 18 (10) शिक्षा-4/2020 दिनांक 08.06.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)** में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्नातक स्तर के डिग्री पाठ्यक्रमों को सत्र 2023-24 से लागू किया जा चुका है । अतः श्री सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ.1 (A)(12)आरबी/2020 पार्ट-2/5477 दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 में उल्लेखित अनुशंसाओं के अनुसार सत्र 2024-25 में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना तथा इस आशय की सूचना प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान को भिजवाया जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 30.10.2023 को अनुमोदन किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.10.2023 की अनुपालना में प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान को पत्र क्रमांक एफ 13 (62) शैक्ष-1/मदसविवि/2023/28979 दिनांक 17.11.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-4)** प्रेषित कर दिया गया तथा उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त मद पर गहन विचार-विमर्श किया गया । प्रो. आशीष भटनागर ने समस्त सदस्यों को उक्त प्रकरण के तथ्यों से विस्तृत रूप से अवगत कराया । उन्होंने अवगत कराया कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 08.06.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्नातक स्तर के डिग्री पाठ्यक्रमों को लागू किया जा चुका है तथा लागू पाठ्यक्रम के आधार पर ही विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है साथ ही नई शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य सरकार/राजभवन से अभी ओर सुझाव/निर्देश आ सकते है । अतः उक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किये गये पाठ्यक्रमों के अनुसार ही परीक्षा करायी जाय तथा स्नातक स्तर के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सैमेस्टर के पाठ्यक्रम**	

	भी शीघ्रातिशीघ्र तैयार करवाने हेतु संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति की बैठकें आयोजित की जाय ।	
मद सं0 05	प्रभारी, योग विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर का पत्र दिनांक 16.01.2024 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** प्राप्त हुआ है । उक्त पत्रानुसार विश्वविद्यालय परिसर में योग विषय 1997-98 से संचालित है लेकिन उक्त विषय का कोई भी संकायाध्यक्ष नहीं है । योग विषय गत वर्षो से वैदिक संकाय के अंतर्गत चल रहा है । अतः उक्त पत्र के माध्यम से प्रभारी, योग विभाग के द्वारा योग विषय का संकायाध्यक्ष नियुक्त करने का निवेदन किया गया है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (2) के तहत वैदिक अध्ययन संकाय हेतु संकायाध्यक्ष नियुक्ति किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर गहन विचार-विमर्श किया गया । चर्चा के दौरान प्रो. रीटा मेहरा ने बताया कि वैदिक अध्ययन संकाय हेतु संकायाध्यक्ष नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रभारी, योग विभाग के द्वारा दिया गया है, जो कि विश्वविद्यालय की नियमित शिक्षिका नहीं है साथ ही संकायाध्यक्ष-वैदिक अध्ययन संकाय नियुक्त किये जाने से पूर्व यह जानकारी ली जानी चाहिए कि इस संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं । इस पर अन्य सदस्यों ने कहा कि जब अधिनियम में संकायाध्यक्ष-वैदिक अध्ययन संकाय नियुक्त किये जाने का प्रावधान है तो सदन को इस संकाय हेतु संकायाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु नाम की अनुशंसा करनी चाहिए । उक्त तथ्य पर प्रो. नीरज भार्गव एवं प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने संकायाध्यक्ष-वैदिक अध्ययन संकाय नियुक्त किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की तथा संकायाध्यक्ष-वैदिक अध्ययन संकाय की नियुक्ति हेतु अथवा किसी अन्य संकाय के संकायाध्यक्ष को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय पर प्रो. नीरज भार्गव एवं प्रो. रीटा मेहरा ने अपना Note of dissent (कार्यवृत्त का परिशिष्ट-1) अंकित कराया ।**	
मद सं0 06	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रांक D.O./No. 1-6/2007(CPP-II) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 की अनुपालना	**परीक्षा नियंत्रक**

	में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रेल, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के दो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को साथ-साथ सतत् अध्ययन हेतु वर्तमान में लागू अध्यादेश 168-A & 168-B के स्थान पर **(कार्यसूची के परिशिष्ट-6)** संलग्न परिशिष्ट गाईड लाईन के अध्यादेश 168 प्रवृत्त करने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त मद पर गहन-विचार विमर्श कर विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रांक D.O./No. 1-6/2007(CPP-II) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 की अनुपालना में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रेल, 2022 को प्रेषित पत्र के साथ संलग्न गाईडलाईन के बिन्दु संख्या 02, 03, 04 एवं 05 को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 07	विश्वविद्यालय में दिनांक 08.01.2024 से शोध पंजीकरण समिति की विषयवार बैठके आयोजित की गयी । जिनमें शोध पात्रता परीक्षा-2022 के पंजीकृत शोधार्थियों की सिनोपसिस का शोध पंजीकरण हेतू मूल्यांकन किया जाना था । इस हेतु शोध पात्रता परीक्षा-2022 का विज्ञापन/अधिसूचना दिनांक 11.02.2022 को जारी की गयी थी । अतः इस प्रक्रिया पर तत्कालीन लागू शोध अध्यादेश 124, (सत्र 2019-2020) को शोध अनुभाग द्वारा पूर्व परम्परानुसार प्रवृत माना गया । शोध पात्रता परीक्षा-2022 के अधिसूचना जारी होने के पूर्व प्रबंध बोर्ड की दिनांक 05.02.2022 को आयोजित बैठक में इस अध्यादेश 124 में आंशिक संशोधन स्वीकृत किये गये थे । स्वीकृत निर्णयों की अनुपालना संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 06.04.2022 को जारी की गई । उपरोक्त प्रकरण में प्रो. रीटा मेहरा द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि शोध पंजीयन समिति की बैठकों हेतु दिनांक 06.04.2022 की अधिसूचना को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 05.02.2022 से लागू माना जाना चाहिए था । अतएव प्रस्तावित है कि प्रबंध बोर्ड की बैठक में स्वीकृत किये गये निर्देश या नियमों को प्रवृत किये जाने हेतु स्वीकृत किए जाने की बैठक की तिथि/अधिसूचना की तिथि के क्रम में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**निदेशक-शोध**

निर्णय	उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने कहा कि प्रबंध बोर्ड की तिथि से अध्यादेश 124 में हुए आंशिक संशोधन प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने चाहिए । माननीय कुलपति महोदय ने अधिसूचना जारी होने की तिथि से संशोधन प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने के संबंध में प्राप्त विधिक राय से सदन को अवगत कराया । उक्त प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय ने वोटिंग के आधार पर निर्णय करने हेतु कहा । अधिसूचना जारी होने की तिथि से उक्त अध्यादेश में संशोधन को प्रवृत्त एवं मान्य करने के प्रस्ताव पर प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त 10 सदस्यों ने सहमति प्रकट की तथा प्रो. नीरज भागर्व ने अपना मत प्रकट नहीं किया । प्रो. रीटा मेहरा ने अपना **Note of dissent** (कार्यवृत्त का परिशिष्ट-2) अंकित कराया । अतः प्राप्त विधिक राय के आलौक में उपस्थित सदस्यों की वोटिंग के आधार पर अध्यादेश 124 में हुए आंशिक संशोधन को अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया तथा शोध पंजीकरण हेतु चल रही प्रक्रिया को सही माना ।	
मद सं0 08	उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1. डॉ. ममता अरोड़ा एवं प्रो. रीटा मेहरा ने क्रमशः अपने पिताजी प्रो. एस.एन. मेहरा एवं माताजी श्रीमती कुसुम मेहरा के नाम पर एम.एससी. रसायनशास्त्र/एप्लाइड रसायनशास्त्र के सामान्य श्रेणी के टॉपर विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा प्रो. मेहरा के द्वारा उक्त प्रस्ताव के साथ ही स्कॉलरशिप दिये जाने हेतु शर्ते भी निर्धारित की गयी थी । इन शर्तो पर चर्चा करने के दौरान उपस्थित सदस्यों ने प्रो. मेहरा के स्कॉलरशिप दिये जाने के प्रयास की प्रशंसा की परन्तु नियम एवं शर्तो के संबंध में मतेक्य नहीं था । प्रो. रीटा मेहरा द्वारा निर्धारित शर्तो में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन से मना कर दिया गया । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिया जाय । 2. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साईंस द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्र क्रमांक	शैक्षणिक-I कम्प्यूटर साईंस विभाग

	D.O. No. 2-79/2023 (CPP-II) dated 08-01-2024 प्राप्त हुआ है। जिसमें सभी संबद्ध संस्थानों को इस क्रम में सूचना प्रेषित की जानी है । उक्त पत्र के क्रम में निर्णय लिया गया कि उक्त पत्र की प्रति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त विभागों/महाविद्यालयों को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जावे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर भी अपलोड़ किया जाय ।	

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव

परिशिष्ट-1

DR(A-I)

Note of Dissent on decision wrt to Agenda Item No.5 of AC Meeting dt.25.1.24 with two Enclosures [Encl.1 and 2]

Statute 2(2) is a delegated legislation, which mandates that –"A Dean shall be appointed by the Vice Chancellor on recommendation of Academic Council, subject to approval of Board." The Academic Council has no authority to further delegate it powers to Vice Chancellor to appoint anyone by treating that person so appointed may be deemed to have been recommended by Academic Council . Such a decision is violation of Legal Axiom – "Delegata protesta non protest delegari", a principle in Constitutional and Administrative Law which means – "No delegated power can be further sub-delegated". Alternatively it can be stated –"delegatus non protest delegare" translated in English it means "one to whom power has been delegated cannot himself further delegate that power".

Further, there is no provision in Act or Statute under which Charge of Dean of one Faculty can be given to Dean of another Faculty, Such an In-charge-Dean of another Faculty can do no justification to functions required to be performed under Statute 2(3) for the subjects assigned to Faculty of Vedic Studies – "…for conducting, and organising teaching, training, research etc." The decision being against the provisions of Law, I disagree and hence this note of dissent.

Received from Registrar office Today 29/1/2024

[signature]
Member, Academic Council

VICE CHANCELLOR'S SECRETARIAT
Diary No. 51
Dated 29/1/2024

Registrar
[signature]
29.1.2024

Registrar
154
29/1/24

29/01
DR(A-II)

Department of Pure & Applied Chemistry

Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer-305009

Dr. R. Mehra
Professor & Head

Telephone-
Off: 0145-2787056, 2787058
Ext: 292

No.F () DPAC/2023-24/174

Date: 24.1.2024

Registrar
MDS University
Ajmer

Sub: Regarding Agenda Item No. 2 of 75th Meeting of Academic Council scheduled on 25.1.2024

Sir

This is for your information that in Agenda Item No. 2 of 75th Meeting of Academic Council six Deans are to be appointed on the recommendation of Academic Council by way of election. Any person against whom Enquiry has been constituted cannot contest an election.

There are two teachers in University viz. Prof. Arvind Pareek and Prof.Subhash Chandra against whose appointment Enquiry Committees have been constituted in the 97th Meeting of Board of Management held on 3.6.2020. In case names of such persons are proposed/ permitted to be elected, then it is very much possible that the position of Dean can be exploited/ abused/ misused.

As such, in case names of the said teachers viz. Prof. Arvind Pareek and Prof. Subhash Chandra are proposed/ they are permitted to contest for any of the position of Dean, then this may be treated as my Note of Dissent for the same.

Truly

(Prof. ~~(Dr.)~~ R. Mehra)
Member Academic Council

DPAC-175
24/1/2024

Copy for kind information and necessary action to :
The Hon'ble Vice-Chancellor, MDS University Ajmer

परिशिष्ट-2

D.R(A-II)

Note of Dissent on Agenda Item No. 7 of Academic Council Meeting dated 25.1.24 with two enclosures [Encl.1 and 2]:

Director Research, on record in his letter No.F.15( )/Res/MDSU/572 dated 16.1.2024 had pleaded that he had no knowledge of Notification dated 06.04.2022 amending the Ordinance wef 05.02.2024 hence he organized RRC meetings as per earlier un-amended Ordinance. He had further said that Notification dated 06.04.2022 was neither initiated by the Research Section of the University nor was a copy of the same marked to the Director Research of the University nor it was uploaded on the website of the University under the icon of Research. He has further expressed that – "....he was utterly surprized to see that this amendment in research ordinance was undertaken without the notice/initiative of the Director Research" [See Point No.1. letter No F.15( )/Res/MDSU/572 dated 16.1.2024-[Encl.1]], although he had received the Notification dated 06.04.2022 as Head. Thus intentionally the Notification dated 06.04.2022[Encl. 2] was ignored and RRC Meetings were held as per un-amended *Ordinance* in existence prior to 05.02.2022. In a way Director Research admits in writing that he had no intention to get RRC meetings organized as per Notification dated 06.04.2022. Circumvention of provisions of law this way is not agreed upon by me. Moreover- "Ignorance of Law is no Excuse."

I do not agree that the decision of amendment of Ordinance by BOM on 05.02.2022 did not exist on 11.02.2022 the date on which RET Examination-2022 was notified and that RRC meetings can be Organized by Director Research in 2024 nullifying the ordinance amendment dated 05.02.2022 made by BOM. The decision is in violation of provision of Section 22(2) of the MDSU Act.

Further, the Act does not permit Academic Council to change the amendment made by BOM on 05.02.2022 not to have been made applicable from 05.02.2022 but from a date subsequent to it by way of Notification. The decision also negates existing University decision of implementing the Research Ordinance 124 for 2023-24 wef 11.07.2023 the date on which BOM approved it, as uploaded on website. University cannot condemn its own decision in its defence. Even the University Notification dated 06.04.2022 also mentions date of implementation of amendment in Ordinance as 05.02.2022. I disagree with the decision taken and I put my note of dissent for the reasons stated above.

153
29/1/24
Encl (2) Enclosures

[signature]
Member, Academic Council

Received from Registrar office today 29/1/2024

Registrar
[signature]
29/1/24

VICE CHANCELLOR'S SECRETARIAT
Diary No. 52
Dated 29/1/2024

29/1
DR(A-II)

Encl. 1

Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer-305009

No. F15( )/Res/MDSU/2024/574 **Date :16.1.2024**

Dr. R. Mehra
Professor & Head
Department of Pure & Applied Chemistry
M.D.S. University, Ajmer

Sub. : Conduct of R.R.C. meetings exactly in accordance with the provisions of the Research Ordinance (O.124) in force.

Ref. : Your letter No. F( )DPAC/2023-24/158 dated 13.1.2024

Ma'am,

With reference to the above mentioned letter and subject, your allegation regarding the RRC meetings being held in violation of the provisions of O.124 is completely false. Please find the pointwise facts as under :

1. The Notification referred by you F.13(124)Acad-I/MDSU/2022/8119-490 Dated 6.4.22 was neither initiated by the Research Section of the University nor was a copy of the same marked to the Director Research of the University and nor was it uploaded on the website of the University under the Icon of Research. The undersigned went through all the records of the section and was utterly surprised to see that this amendment in research ordinance was undertaken without the notice/initiative of the Director Research.
2. The said Notification does not even mention the date of its enforcement.
3. As per the norms of the Research Section the students admitted for the Ph.D. programme are governed by the prevailing Ordinance in force starting from the time of the notification/ advertisement of the Research Eligibility Test (RET) (Enclosure II). The Notification for RET 2022 (for which the RRCs at present are being held) was issued on 15th Feb. 2022 vide advertisement No. F15/RES/MDSU/2022/11-2-22 which implies the adoption of the ordinance of 2019-20 (Enclosure III).
4. As per the provisions of the above stated Ordinance 2019-2020(O.124.1) the composition of the RRC is as under.

   There shall be a Research Registration Committee (RRC) in each subject consisting of the following :

   a. The Dean Post Graduate Studies
   b. The Dean of the Faculty Concerned
   c. One subject expert nominated by Vice Chancellor
   d. Director (Research) nominated by Vice Chancellor

In view of the above mentioned facts it is once again stated that the meetings of the RRCs in various subjects which are being held at present are exactly in compliance with the provisions of the Ordinance O.124. There is no question of the violation of any of the provisions of the Research Ordinance.

Enclosures – 3 as above

Director Research.

Encl. 2

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक एफ 13 (12) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2022/ दिनांक :- .01.22

अधिसूचना

विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के निर्णय संख्या 02 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05.02.2022 के निर्णय संख्या 03 (II) की अनुपालना में पी.एचडी.उपाधि प्रदान किये जाने से संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश 124 को निम्नानुसार संशोधित प्रवृत्त मान्य किया जाताः-

S.No.	Provision of Ordinance 124	Amended
1	O.124.10.1-Research Registration Committee	**There shall be a Research Registration Committee (RRC) consisting of the following:** **1. The Dean Post Graduate Studies.** **2. The Dean of Faculty concerned.** **3. Statutory Head of University teaching Department of the subject concerned/ Convener Board of Studies /Committee of Courses of the subject in which there is no statutory Head of Department in the University.** **4. One subject expert nominated by the Vice-Chancellor from a panel of three names recommended by the statutory Head of University teaching Department of the subject concerned/Convener Board of Studies/Committee of Courses of the subject in which there is no statutory Head of Department in the University.** **5. Director Research.**
2	O.124.16.2-Pre-thesis submission Seminar and submission of panel of export and consent process.	**"Three months before the submission of the thesis. The supervisor shall submit a panel (barring his/her close relative (s), if any) of at least eight experts in the subject/area concerned as examiner. The panel shall be of Professors of State and Central Universities from inside and outside the state of Rajasthan (Appendix VIII). In subjects where adequate number of Professors is not available, Associate Professors working in the University teaching Department can be included in the panel of experts. The Vice-Chancellor .....foreign countries.**
3	Appendix VIII included in O.124.16.2	**Note: As per O.124.16 at least eight experts are to be recommended to facilitate appointment of proper Examiner. The panel shall be of Professors of State and Central Universities from inside and outside the state of Rajasthan as also from abroad. Authenticity of the rank of the examiners given in the panel shall be the sole responsibility of the supervisor. Supervisorship may be cancelled by the University if the expert is found wrong.** **The Vice-Chancellor, if not satisfied, may however ask for another panel of experts. In case the subject of research is such that adequate number of experts is not available within India, the panel may consist of two names of experts from foreign countries.**

कुलसचिव

क्रमांक एफ 13 (12) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2022/8113-480 दिनांक :- 06.01.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
3. परीक्षा नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
4. वित्त नियंत्रक/अतिरिक्त कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
6. निजी सचिव-कुलपति सचिवालय, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
7. निजी सहायक-कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

उप कुलसचिव (शैक्ष-I)